XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

24

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–30/2010

नसीमा खातुन पति–मो0 मोबारक मियाँ
सा0–विशनपुर दत्ता, वार्ड नं0–12, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ

—————आवेदक

बनाम्

1.राज्य
2.मो0 तस्लीम, पिता–कारी मियाँ
सा0–विशनपुर दत्ता, वार्ड नं0–12, थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ

—————विपक्षी

आ दे श

आवेदिका अंचल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा बासगीत पर्चा वाद संख्या–130/83–84 में पारित आदेश के विरूद्व यह वाद दायर किया है। आवेदिका का कथन है कि मौजा विशनपुर दत्ता, थाना नं0–74, खाता नं0–286, खेसरा नं0–199, रकवा–01 एकड़ जमीन मुंशी मियाँ एवं दरोजी मियाँ के नाम दर्ज था। पारिवारिक बटवारा में उपरोक्त जमीन आवेदिका के पति मोबारक मियाँ के हिस्से में मिला। विपक्षी सं0–2 की लालच भरी निगाह उपरोक्त जमीन पर थी और गलत तरीके से अंचल पदाधिकारी से वर्ष 1984 ई0 में उपरोक्त जमीन से 12 डि0 जमीन का बासगीत पर्चा बनवा लिया। पर्चा बनाने के क्रम में अंचल पदाधिकारी द्वारा नियम के विरूद्व पर्चा निर्गत किया गया। प्रश्नगत जमीन नगर पंचायत वार्ड नं0–13 में स्थित है और नगर पंचायत बनमनखी की स्थापना दिनांक–07.01.1974 को हुआ है। उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत की जमीन का बासगीत पर्चा के लिए विपक्षी ने अंचल पदाधिकारी को आवेदन दिया और अंचल पदाधिकारी को नगर पंचायत के अन्तर्गत जमीन का पर्चा निर्गत करने का अधिकार नही है। पर्चा निर्गत करने के क्रम में पक्षकर मृत व्यक्ति को बनाया गया। वास्तव में विपक्षी नगर पंचायत चुनाव में हुए विवाद के कारण आवेदिका के पति को परेशान करने के उद्देश्य से पर्चा बनवाया और उस बात का खुलासा काफी लम्बे समय के बाद किया। अतः आवेदिका इस न्यायालय से अनुरोध करती है कि वाद की सुनवाई कर विपक्षी के नाम पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं की गई है।

दिनांक 02.09.2011 को आवेदक को सुना गया। विपक्षी अनुपस्थित थे। आवेदक के द्वारा समर्पित कागजात से स्पष्ट है कि नगर पंचायत, बनमनखी का सृजन दिनांक 07.01.1974 को किया गया परन्तु विवादित वासगीत पर्चा 1984 ई0 में निर्गत है।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा निर्गत किये गये वासगीत पर्चा विधि सम्मत नहीं है। इस कारण से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए निर्गत वासगीत पर्चा को खारिज करने का आदेश अंचलाधिकारी, बनमनखी को दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

29/5/12
समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

29/5/12
समाहर्त्ता, पूर्णियाँ